

महामारी अधिनियम, 1897

(1897 का अधिनियम संख्यांक 3)¹

[4 फरवरी, 1897]

खतरनाक महामारियों के प्रसार की बेहतर रोकथाम का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम

खतरनाक महामारियों के प्रसार की बेहतर रोकथाम का उपबन्ध करना समीचीन है; अतः इसके द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है:—

1. संक्षिप्त नाम और विस्तार—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम महामारी अधिनियम, 1897 है।

²[(2) इसका विस्तार, ³*** सम्पूर्ण भारत पर है।] ⁴***

⁴* * * * *

⁵[**1क. परिभाषाएं—**इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "हिंसा का कृत्य" के अंतर्गत किसी व्यक्ति द्वारा किसी महामारी के दौरान सेवा करने वाले किसी स्वास्थ्य देखरेख सेवा कार्मिक के विरुद्ध किया गया निम्नलिखित कोई भी कृत्य आता है, जो—

(i) ऐसा उत्पीड़न करता हो या कर सके, जिससे ऐसे स्वास्थ्य देखरेख सेवा कार्मिक की जीविका या कार्य दशा पर प्रभाव पड़ता है और उसे कर्तव्य के निर्वहन से निवारित करता है ;

(ii) या तो किसी नैदानिक स्थापन के परिसर के भीतर या अन्यथा ऐसे स्वास्थ्य देखरेख सेवा कार्मिक को नुकसान, क्षति, उपहति, अभित्रास या जीवन के लिए जोखिम कारित करता हो या कारित कर सके ;

(iii) या तो किसी नैदानिक स्थापन के परिसर के भीतर या अन्यथा ऐसे स्वास्थ्य देखरेख सेवा कार्मिक को उसके कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा या प्रतिबाधा उत्पन्न करता हो या कर सके ; या

(iv) ऐसे स्वास्थ्य देखरेख सेवा कार्मिक की अभिरक्षा में या उससे संबंधित किसी संपत्ति या दस्तावेजों को हानि या नुकसान कारित करता हो या कर सके ;

(ख) "स्वास्थ्य देखरेख सेवा कार्मिक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो महामारी से संबंधित उत्तरदायित्वों के संबंध में अपने कर्तव्यों का पालन करते समय प्रभावित रोगियों के सीधे संपर्क में आए और जो उसके द्वारा ऐसे रोग से प्रभावित होने की जोखिम पर हो तथा इसके अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं—

(i) ऐसा कोई भी पब्लिक और नैदानिक स्वास्थ्य देखरेख प्रदाता जैसे डाक्टर, नर्स, पराचिकित्सीय कार्यकर्ता और सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता ;

(ii) महामारी के प्रकोप या उसके फैलाव को रोकने के उपाय करने के लिए इस अधिनियम के अधीन सशक्त कोई अन्य व्यक्ति ; और

(iii) राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस रूप में घोषित कोई भी व्यक्ति ;

¹ यह अधिनियम,—

(1) महामारी (पंजाब संशोधन) अधिनियम, 1944 (1944 का पंजाब अधिनियम 3) द्वारा पंजाब में; 1947 के पूर्व पंजाब अधिनियम 1 द्वारा पूर्व पंजाब में;

(2) मध्य प्रान्त और बरार महामारी (संशोधन) अधिनियम, 1945 (1945 का मध्य प्रान्त और बरार अधिनियम सं० 4) द्वारा मध्य प्रान्त और बरार में;

संशोधित रूप से लागू किया गया।

अधिनियम का निम्नलिखित पर विस्तार किया गया :—

(1) 1958 के मध्य प्रदेश अधिनियम सं० 23 द्वारा (अधिसूचना की तारीख से) सम्पूर्ण मध्य प्रदेश पर,

(2) 1961 के पंजाब अधिनियम सं० 8 द्वारा पंजाब के अंतर्गत राज्यक्षेत्रों पर,

(3) 1963 के विनियम सं० 6 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा (1-7-1965 से) दादरा और नागर हवेली पर,

(4) 1965 के विनियम सं० 8 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा (1-10-1967 से) लक्षद्वीप पर,

(5) 1968 के अधिनियम सं० 26 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा संघ राज्यक्षेत्र पांडिचेरी पर,

1955 के मैसूर अधिनियम सं० 14 द्वारा बेल्लारी जिले पर लागू होने से निरसित किया गया।

² विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा प्रतिस्थापित।

³ 2020 के अधिनियम सं० 34 की धारा 2 द्वारा "उन राज्यक्षेत्रों के सिवाय, जो 1 नवम्बर, 1956 के ठीक पूर्व भाग ख राज्यों में समाविष्ट थे" शब्दों का लोप किया गया।

⁴ 1914 के अधिनियम सं० 10 की धारा 3 और अनुसूची 2 द्वारा उपधारा (2) के अंत में शब्द "और" और उपधारा (3) निरसित।

⁵ 2020 के अधिनियम सं० 34 की धारा 3 द्वारा अंतःस्थापित।

(ग) "संपत्ति" के अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं,—

(i) नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 23) में यथा परिभाषित कोई नैदानिक स्थापन ;

(ii) किसी महामारी के दौरान रोगियों के करंतीन और पार्थक्य के लिए स्थापित कोई भी सुविधा ;

(iii) कोई चल चिकित्सा यूनिट ; और

(iv) कोई भी अन्य संपत्ति, जिसमें महामारी के संबंध में कोई स्वास्थ्य देखरेख सेवा कार्मिक प्रत्यक्ष हित रखता है ;

(घ) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु यथास्थिति, भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) और वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) या भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 31) में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होंगे, जो उनके उस अधिनियम में हैं ।]

12. खतरनाक महामारी के विशेष उपाय करने और विनियम विहित करने की शक्ति—(1) जब ²[राज्य सरकार] का किसी समय यह समाधान हो जाए कि ³[राज्य] या उसके किसी भाग में किसी खतरनाक महामारी का प्रकोप हो गया है, या होने की आशंका है तब ⁶[राज्य सरकार] यदि वह यह समझती है कि तत्समय प्रवृत्त विधि के साधारण उपबन्ध इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त नहीं हैं तो, ऐसे उपाय कर सकेगी या ऐसे उपाय करने के लिए किसी व्यक्ति से अपेक्षा कर सकेगी या उसके लिए उसे सशक्त कर सकेगी, और जनता द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के किसी वर्ग द्वारा अनुपालन करने के लिए सार्वजनिक सूचना द्वारा ऐसे अस्थायी विनियम विहित कर सकेगी जिन्हें वह उस रोग के प्रकोप या प्रसार की रोकथाम के लिए आवश्यक समझे और वह यह भी अवधारित कर सकेगी कि उपगत व्यय (जिनके अन्तर्गत प्रतिकर, यदि कोई हों, भी है) किस रीति से और किसके द्वारा चुकाए जाएंगे ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ⁶[राज्य सरकार] निम्नलिखित के लिए उपाय कर सकेगी और विनियम सहित विहित कर सकेगी :—

4* * * *

(ख) रेल द्वारा या अन्य प्रकार से यात्रा करने वाले व्यक्तियों का निरीक्षण तथा उन व्यक्तियों का, जिनके बारे में निरीक्षक अधिकारी को यह शंका है कि वे ऐसे किसी रोग से संक्रमित हैं, किसी अस्पताल या अस्थायी आवास में या अन्यत्र अलग रखने के लिए;

5* * * *

6[2क. केन्द्रीय सरकार की शक्तियां]—जब केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया हो कि भारत अथवा उसके अधीन किसी भाग में किसी खतरनाक महामारी का प्रकोप हो गया है या होने की आशंका है और तत्समय प्रवृत्त विधि के साधारण उपबन्ध उस रोग के प्रकोप या प्रसार को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं हैं, ⁷तब केन्द्रीय सरकार ऐसे उपाय कर सकेगी, जो वह ठीक समझे और उन राज्यक्षेत्रों में, जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है, यथास्थिति, किसी भूमि पत्तन या पत्तन या हवाई अड्डा को छोड़ने वाली या उसमें आने वाली किसी बस या रेलगाड़ी या माल यान या पोत या जलयान या वायुयान के निरीक्षण के लिए और उसमें यात्रा करने का आशय रखने वाले या उसके द्वारा आने वाले किसी व्यक्ति के निरोध के लिए ऐसे विनियम विहित कर सकेगी, जो आवश्यक हों ।]

8[2ख. स्वास्थ्य देखरेख सेवा कार्मिक के विरुद्ध हिंसा और संपत्ति को नुकसान का प्रतिषेध]— कोई भी व्यक्ति, किसी महामारी के दौरान किसी स्वास्थ्य देखरेख सेवा कार्मिक के विरुद्ध हिंसा का कोई भी कृत्य करने या किसी संपत्ति को कोई भी नुकसान या हानि कारित करने में लिप्त नहीं होगा ।]

3. शास्ति—⁹[(1)] इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी विनियम या आदेश की अवज्ञा करने वाले किसी व्यक्ति के विषय में यह समझा जाएगा कि उसने भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 188 के अधीन दण्डनीय अपराध किया है ।

⁸[(2) जो कोई,—

¹ इस धारा के अधीन जारी अधिसूचनाओं के लिए विभिन्न स्थानीय नियम और आदेश देखिए ।

² भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "सपरिषद् गवर्नर जनरल" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

³ भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "भारत" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

⁴ भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा पैरा (क) का लोप किया गया ।

⁵ 1920 के अधिनियम सं० 38 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा उपधारा (3) का लोप किया गया ।

⁶ 1920 के अधिनियम सं० 38 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा अन्तःस्थापित धारा 2क के स्थान पर भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा प्रतिस्थापित की गई ।

⁷ 2020 के अधिनियम सं० 34 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित ।

⁸ 2020 के अधिनियम सं० 34 की धारा 5 द्वारा अंतःस्थापित ।

⁹ 2020 के अधिनियम सं० 34 की धारा 6 द्वारा पुनःसंख्याकित किया गया ।

(i) किसी स्वास्थ्य देखरेख सेवा कार्मिक के विरुद्ध हिंसा का कोई कृत्य करता है या करने के लिए उत्प्रेरित करता है ; या

(ii) किसी संपत्ति को नुकसान या हानि कारित करता है या उसके लिए उत्प्रेरित करता है,

ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास से कम की नहीं होगी, किंतु जो पाँच वर्ष तक की हो सकेगी तथा जुमाने से, जो पचास हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा ।

(3) जो कोई, किसी स्वास्थ्य देखरेख सेवा कार्मिक के विरुद्ध हिंसा का कोई कृत्य करते समय ऐसे व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 320 में यथा परिभाषित घोर उपहृति कारित करता है, ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी, किंतु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी तथा जुमाने से, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा किंतु जो पाँच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा ।]

1[3क. अपराधों का संज्ञान, अन्वेषण और विचारण—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी,—

(i) धारा 3 की उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन दंडनीय अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होगा ;

(ii) धारा 3 की उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी भी मामले का अन्वेषण निरीक्षक की पंक्ति से अनिम्न किसी पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा ;

(iii) धारा 3 की उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन किसी मामले का अन्वेषण प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के रजिस्ट्रीकरण की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा ;

(iv) धारा 3 की उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन किसी मामले की प्रत्येक जांच या विचारण में कार्यवाहियां यथाशक्य शीघ्र की जाएंगी और विशिष्टतया जब एक बार साक्षियों की परीक्षा आरंभ हो जाती है तो उसे तब तक दिन-प्रतिदिन जारी रखा जाएगा जब तक कि उपस्थित साक्षियों की परीक्षा नहीं कर ली जाती, जब तक कि न्यायालय लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से उसे अगले दिन से आगे के लिए स्थगित करने के लिए आवश्यक नहीं पाता है और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किया जाएगा कि जांच या विचारण एक वर्ष की अवधि के भीतर समाप्त किया जाए :

परंतु जहां विचारण उक्त अवधि के भीतर समाप्त नहीं किया जाता है, वहां न्यायाधीश ऐसा नहीं किए जाने के कारण लेखबद्ध करेगा :

परंतु यह और कि उक्त अवधि को, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से ऐसी और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा किंतु जो एक बार में छह मास से अधिक की नहीं होगी ।

3ख. कतिपय अपराधों का शमन—जहां किसी व्यक्ति को धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन दंडनीय कोई अपराध करने के लिए अभियोजित किया जाता है, वहां ऐसे अपराध का उस व्यक्ति द्वारा, जिसके विरुद्ध हिंसा का ऐसा कृत्य किया गया है, न्यायालय की अनुज्ञा से शमन किया जा सकेगा ।

3ग. कतिपय अपराधों के बारे में उपधारणा—जहां किसी व्यक्ति को धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन दंडनीय कोई अपराध करने के लिए अभियोजित किया जाता है, वहां जब तक प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता है, न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है ।

3घ. आपराधिक मानसिक दशा की उपधारणा—(1) धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन किसी अपराध के किसी भी अभियोजन में, जिसमें अभियुक्त की ओर से आपराधिक मानसिक दशा अपेक्षित है, वहां न्यायालय ऐसी मानसिक दशा के विद्यमान होने की उपधारणा करेगा किंतु अभियुक्त के पास इस तथ्य को साबित करने की प्रतिरक्षा होगी कि उस अभियोजन में किसी अपराध के रूप में आरोपित कार्य की बाबत उसकी ऐसी मानसिक दशा नहीं थी ।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए किसी तथ्य का साबित होना केवल तभी कहा जाएगा जब न्यायालय उसे युक्तियुक्त संदेह से परे होने का विश्वास करता है और केवल इसलिए नहीं जब उसका विद्यमान होना प्रबल संभावना द्वारा सिद्ध किया जाता है ।

स्पष्टीकरण—इस धारा में "आपराधिक मानसिक दशा" के अंतर्गत आशय, हेतु, तथ्य का ज्ञान और किसी तथ्य का विश्वास या विश्वास करने का कारण आते हैं ।

3ड. हिंसा के कृत्य के लिए प्रतिकर—(1) धारा 3 की उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन किसी अपराध के लिए उपबंधित दंड के अतिरिक्त इस प्रकार दोषसिद्ध व्यक्ति प्रतिकर के रूप में किसी स्वास्थ्य देखरेख सेवा कार्मिक को उपहृति या घोर उपहृति कारित करने के लिए ऐसी रकम का संदाय करने का भी दायी होगा, जो न्यायालय द्वारा अवधारित की जाए ।

¹ 2020 के अधिनियम सं० 34 की धारा 7 द्वारा अंतःस्थापित ।

(2) धारा 3ख के अधीन किसी अपराध के शमन के होते हुए भी, किसी संपत्ति को नुकसान या की गई हानि की दशा में संदेय प्रतिकर की रकम, नुकसान की गई संपत्ति या की गई हानि के उचित बाजार मूल्य का दुगना होगी, जो न्यायालय द्वारा अवधारित की जाए।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (1) के अधीन अधिनिर्णीत प्रतिकर का संदाय करने में असफल होने पर ऐसी रकम की वसूली, राजस्व वसूली अधिनियम, 1890 (1890 का 1) के अधीन भू-राजस्व के बकाया के रूप में की जाएगी।]

4. अधिनियम के अधीन कार्य करने वाले व्यक्तियों का संरक्षण—कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही ऐसी किसी भी बात के बारे में, जो इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई है या की जाने के लिए आशयित है, किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी।
